



उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

राज्य निर्वाचन परिसर, बाईपास रिंग रोड, देहरादून।

वेबसाइट—www.sssc.uk.gov.in

E- mail: chavanavog@gmail.com

फोन न० 0135-2669658

फैक्स न० 0135-2672902

विज्ञापन संख्या: 17/उ0अ0से0च0आ0/2018

देहरादून: दिनांक: 23 मार्च, 2018

चयन हेतु विज्ञापन

समूह 'ग' के अन्तर्गत राज्यपाल सचिवालय में अपर निजी सचिव/सहायक समीक्षा अधिकारी/कम्प्यूटर डाटा एण्ट्री ऑपरेटर, समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत पर्यवेक्षक(भिक्षुक गृह)/सहायक समाज कल्याण अधिकारी/सहायक अध्यापक (प्राथमिक) (भिक्षुक गृह), अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी, संवीक्षक तथा अनुवादक, एवं महिला कल्याण विभाग के अन्तर्गत सहायक अधीक्षिका के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन।

नोट: रिक्तियों की संख्या बढ़ायी या घटायी जा सकती है।

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	23 मार्च, 2018(शुक्रवार)
ऑनलाइन आवेदन की प्रारम्भ तिथि	24 मार्च, 2018(शनिवार)
ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि	10 मई, 2018(बृहस्पतिवार)
e-challan का प्रिंटआउट प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	
e-challan द्वारा परीक्षा शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	10 मई, 2018(बृहस्पतिवार)
परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	10 मई, 2018(बृहस्पतिवार)

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह 'ग' के अन्तर्गत राज्यपाल सचिवालय के अन्तर्गत अपर निजी सचिव के 03 पदों, सहायक समीक्षा अधिकारी के 05 पदों, कम्प्यूटर डाटा एण्ट्री ऑपरेटर के 01 पद, समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत रिक्त पर्यवेक्षक, भिक्षुक गृह के 02 पदों, सहायक समाज कल्याण अधिकारी के 14 पदों, सहायक अध्यापक (प्राथमिक) (भिक्षुक गृह) के 04 पदों, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत रिक्त सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के 15 पदों, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग में रिक्त अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी के 01 पद, संवीक्षक के 01 पद तथा अनुवादक के 01 पद तथा महिला कल्याण विभाग के अन्तर्गत सहायक अधीक्षिका के 03 पदों अर्थात् कुल रिक्त 50 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 10 मई, 2018(बृहस्पतिवार) तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इन पदों की लिखित परीक्षा कराने की सुविधा के दृष्टि से Club किया गया है। अभ्यर्थी जितने पदों का चयन करेंगे उनका परिणाम अलग-अलग उन सभी पदों के लिए जारी किया जाएगा। उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु अर्ह अभ्यर्थियों की लिखित (वस्तुनिष्ठ) परीक्षा आयोजित करायी जाएगी। लिखित परीक्षा के संबंध में परीक्षा की तिथि की सूचना यथासमय पृथक से आयोग की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति तथा अभ्यर्थियों को sms द्वारा भी उपलब्ध करायी जाएगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकेंगे। डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किये जायेंगे।

*** आवेदन पत्र भरने के पूर्व इस विज्ञप्ति के अन्त में दिए गए निर्देशों को भलीभाँति अवश्य पढ़ लें।**

01.पदनाम—**अपर निजी सचिव**

पद कोड—120

कुल पद—03

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षेत्रीय आरक्षण की स्थिति :-

क्र. सं.	पद का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षेत्रीय आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या					
				WO	DFP	Ex	UKA	PH	OTHERS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अपर निजी सचिव (राज्यपाल सचिवालय)	अ0जा0	01	—	—	—	—	—	01
		अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—
		अ0पि0व0	01	—	—	—	—	—	01
		सामान्य	01	—	—	—	—	—	01
		योग	03	—	—	—	—	—	03

(ii) वेतनमान:—रु0 47,600—रु0 1,51,100 (लेवल—08)

(iii) पद का स्वरूप:— अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(iv) शैक्षिक अर्हता:—

(a) अनिवार्य अर्हता:—

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य समकक्ष अर्हता के साथ हिन्दी और अंग्रेजी दोनों आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट और कम्प्यूटर पर अंग्रेजी/हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा की गति।

(b) अधिमानी अर्हताएं:— अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को सेवा में अधिमान दिया जाएगा जिसने—

1. प्रादेशिक सेना में कम से कम 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या भूतपूर्व सैनिक हो, या
2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

2.पदनाम—**सहायक समीक्षा अधिकारी**

पद कोड—121

कुल पद—05

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षेत्रीय आरक्षण की स्थिति :-

क्र. सं.	पद का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षेत्रीय आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या					
				WO	DFP	Ex	UKA	PH	OTHERS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	सहायक समीक्षा अधिकारी (राज्यपाल सचिवालय)	अ0जा0	01	—	—	—	—	—	01
		अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—
		अ0पि0व0	02	01	—	—	—	—	01
		सामान्य	02	01	—	—	—	—	01
		योग	05	02	—	—	—	—	03

(ii) वेतनमान—रु0 44,900—रु0 1,42,400 (लेवल—07)

(iii) पद का स्वरूप:— अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(iv) शैक्षिक अर्हता:-

(a) अनिवार्य अर्हता:-

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य समकक्ष अर्हता और कम्प्यूटर पर हिन्दी/अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 4000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए।

(b) अधिमानी अर्हताएं:- अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को सेवा में अधिमान दिया जाएगा जिसने-

1-प्रादेशिक सेना में कम से कम 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या भूतपूर्व सैनिक हो, या

2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

3.पदनाम-

कम्प्यूटर डाटा एण्ट्री ऑपरेटर

पद कोड-122

कुल पद-01

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति :-

क्र. सं.	पद का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या					
				WO	DFP	Ex	UKA	PH	OTHERS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	कम्प्यूटर डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (राज्यपाल सचिवालय)	अ0जा0	—	—	—	—	—	—	—
		अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—
		अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—	—
		सामान्य	01	—	—	—	—	—	01
		योग	01	—	—	—	—	—	01

(ii) वेतनमान:- रू0 29,200-रू0 92,300(लेवल-05)

(iii) पद का स्वरूप:- अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(iv) शैक्षिक अर्हता:-

(a) अनिवार्य अर्हता:-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के साथ कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा एवं हिन्दी/अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 4000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा की गति।

(b) अधिमानी अर्हताएं:- अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को सेवा में अधिमान दिया जाएगा जिसने-

1-प्रादेशिक सेना में कम से कम 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या भूतपूर्व सैनिक हो, या

2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

4. पदनाम—

पर्यवेक्षक, भिक्षुक गृह

पद कोड—123

कुल पद—02

(i) रिक्तियों का विवरण एवं कैतिज आरक्षण की स्थिति :-

क्र. सं.	पद का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	कैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या					
				WO	DFP	Ex	UKA	PH	OTHERS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	पर्यवेक्षक, भिक्षुक गृह (समाज कल्याण विभाग)	अ0जा0	01	01	—	—	—	—	—
		अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—
		अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—	—
		सामान्य	01	01	—	—	—	—	—
		योग	02	02	—	—	—	—	—

(ii) वेतनमान:— रू0 29,200—रू0 92,300 (लेवल—05)

(iii) पद का स्वरूप:— अराजपत्रित/अस्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(iv) शैक्षिक अर्हता:—

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा (दो) विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त हो या घोषित किया गया हो अथवा (तीन) भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।

5. पदनाम—

सहायक समाज कल्याण अधिकारी

पद कोड—124

कुल पद— 14

(i) रिक्तियों का विवरण एवं कैतिज आरक्षण की स्थिति :-

क्र. सं.	पद का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	कैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या					
				WO	DFP	Ex	UKA	PH	OTHERS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	सहायक समाज कल्याण अधिकारी (समाज कल्याण विभाग)	अ0जा0	03	01	01	—	—	—	01
		अ0ज0जा0	01	—	—	—	—	—	01
		अ0पि0व0	01	—	—	—	—	—	01
		सामान्य	09	02	—	01	—	—	06
		योग	14	03	01	01	—	—	09

(ii) वेतनमान:— रू0 29,200—रू0 92,300 (लेवल—05)

(iii) पद का स्वरूप:— अराजपत्रित/अस्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(iv) शैक्षिक अर्हता:—

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा
(दो) विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त हो या घोषित किया गया हो अथवा
(तीन) भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।

6. पदनाम—**सहायक अध्यापक (प्राथमिक-भिक्षुक गृह)**

पद कोड-125

कुल पद-04

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति :-

क्र. सं.	पद का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या					
				WO	DFP	Ex.Ser.	UKA	PH	OTHERS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	सहायक अध्यापक (प्राथमिक) (भिक्षुक गृह) (समाज कल्याण विभाग)	अ0जा0	01	01	—	—	—	—	—
		अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—
		अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—	—
		सामान्य	03	01	—	—	—	—	02
		योग	04	02	—	—	—	—	02

(ii) वेतनमान:- लेवल-06, रू0 35400-रू0 1,12,400

(iii) पद का स्वरूप:- अराजपत्रित/अस्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(iv) शैक्षिक अर्हता:-

अनिवार्य अर्हता:-

1. भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विषय में स्नातक उपाधि एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त द्विवर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा/डी0एल0एड0/बी0टी0सी0 अथवा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ इण्टरमीडिएट एवं चार वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक(बी0एल0एड0) उपाधि।

अथवा

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विषय में स्नातक उपाधि एवं शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा(विशेष शिक्षा)।

2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा सहायक अध्यापक (प्राथमिक) हेतु यू0टी0ई0टी0-1/सी0टी0ई0टी0-1 परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

3-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है।

7. पदनाम—**सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी**

पद कोड-126

कुल पद-15

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति :-

क्र. सं.	पद का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या					
				WO	DFP	Ex	UKA	PH	OTHERS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)	अ0जा0	03	—	—	—	—	—	03
		अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—
		अ0पि0व0	02	—	—	—	—	—	02
		सामान्य	10	03	—	01	01	—	05
		योग	15	03	—	01	01	—	10

(ii) वेतनमान:—रु0 वेतनमान—रु0 29,200—रु0 92,300(लेवल—05)

(iii) पद का स्वरूप:— अराजपत्रित/अस्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(iv) शैक्षिक अर्हता:—

(a) अनिवार्य अर्हता:—

1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।
2. केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।

(b) अधिमानी अर्हताएं:—

1. कम्प्यूटर पर हिन्दी व अंग्रजी टंकण का ज्ञान प्राप्त किया हो।
2. प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
3. एन0सी0सी0 का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

08. पदनाम—

अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी

पद कोड —127

कुल पद—01

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षेत्रीय आरक्षण की स्थिति:—

क्र0.सं.	पद का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षेत्रीय आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या					
				WO	DFP	Ex.Ser.	UKA	PH	OTHERS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी (सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)	अ0जा0	01	—	—	—	—	—	01
		अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—
		अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—	—
		सामान्य	—	—	—	—	—	—	—
		योग	01	—	—	—	—	—	—

(ii) वेतनमान:— रु0 29,200—रु0 92,300(लेवल—05)

(iii) पद का स्वरूप:— अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(iv) शैक्षिक अर्हता:—

अनिवार्य अर्हता:—

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, जिसमें हिन्दी एक विषय रहा हो माध्यमिक शिक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में जिसमें अंग्रेजी एक विषय रहा हो, उत्तीर्ण होना चाहिए।

अधिमानी अर्हताएं:— हिन्दी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में स्नातक।

09.पदनाम—**संवीक्षक****पद कोड —128****कुल पद—01****(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षेत्रीय आरक्षण की स्थिति:—**

क्र०.सं.	पद का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षेत्रीय आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या					
				WO	DFP	Ex.Ser.	UKA	PH	OTHERS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	संवीक्षक (सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)	अ०जा०	01	—	—	—	—	—	01
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—
		अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—
		सामान्य	—	—	—	—	—	—	—
		योग	01	—	—	—	—	—	01

(ii) वेतनमान:— रू० 29,200—रू० 92,300(लेवल—05)**(iii) पद का स्वरूप:—** अराजपत्रित/अस्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।**(iv) शैक्षिक अर्हता:—****अनिवार्य अर्हता:—**

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, जिसमें हिन्दी एक विषय रहा हो, माध्यमिक शिक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में जिसमें अंग्रेजी एक विषय रहा हो, उत्तीर्ण होना चाहिए।

अधिमानी अर्हताएं:— हिन्दी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में स्नातक।**10.पदनाम—****अनुवादक****पद कोड —129****कुल पद—01****(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षेत्रीय आरक्षण की स्थिति:—**

क्र०.सं.	पद का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षेत्रीय आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या					
				WO	DFP	Ex.Ser.	UKA	PH	OTHERS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अनुवादक (सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—
		अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—
		सामान्य	01	—	—	—	—	—	01
		योग	01	—	—	—	—	—	01

(ii) वेतनमान:— रू० 35,400—रू० 1,12,400 (लेवल—06)**(iii) पद का स्वरूप:—** अराजपत्रित/अस्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(iv) शैक्षिक अर्हता:—

अनिवार्य अर्हता:—

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, जिसमें अंग्रेजी एक विषय रहा हो माध्यमिक शिक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में जिसमें हिन्दी एक विषय रहा हो, उत्तीर्ण होना चाहिए।

अधिमानी अर्हता:— अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में स्नातक उपाधि।

11.पदनाम—

सहायक अधीक्षिका (केवल महिलाओं हेतु)

पद कोड —130

कुल पद—03

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षेत्रीय आरक्षण की स्थिति:—

क्र०सं.	पद का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षेत्रीय आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या					
				WO	DFP	Ex.Ser.	UKA	PH	OTHERS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	सहायक अधीक्षिका (महिला / समाज कल्याण विभाग)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—
		अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—
		सामान्य	03	03	—	—	—	—	—
		योग	03	03	—	—	—	—	—

(ii) वेतनमान:— रू० 29,200—रू० 92,300(लेवल—05)

(iii) पद का स्वरूप:— अराजपत्रित /स्थायी /अंशदायी पेंशनयुक्त।

(iv) शैक्षिक अर्हता:—

अनिवार्य अर्हता:—

1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में एक विषय के रूप में समाजशास्त्र के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।
2. किसी मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक सामाजिक संगठन में या किसी सरकारी संगठन में प्रशासनिक या पर्यवेक्षकीय कार्य का एक वर्ष का व्यवहारिक अनुभव।

अधिमानी अर्हता:— समाज कार्य में डिप्लोमा।

पद कोड 120 से पद कोड 130 तक सभी चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की 02 घंटे की एक लिखित परीक्षा होगी, जो सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से सम्बन्धित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। सभी पदों के लिए निम्नलिखित निर्देश व शर्तें लागू रहेंगी। पाठ्यक्रम आयोग की बैवसाईट पर उपलब्ध है।

11. लिखित परीक्षा –

- (i) लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।
- (ii) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात् अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।
- (iii) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ ट्रीप्लीकेट में होगी तथा द्वितीय प्रति अलग से संरक्षित रखी जाएगी तथा तृतीय प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।
- (iv) गलत उत्तरों के लिए दण्ड– वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा:–
- (क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प उत्तर हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का एक चौथाई दण्ड रूप में काटा जायेगा।
- (ख) प्रत्येक प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा; यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।
- (ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।
- (घ) ओ0एम0आर0 शीट में व्हाइटनर का उपयोग या विकल्पों को खुरचने/छेड़छाड़ के लिए भी ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।
- (च) अभ्यर्थी अपनी ओ.एम.आर. शीट में गलत रोल नं0. अथवा बुकलेट सीरीज डालता है तो उसकी ओ.एम.आर. शीट का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

12- आयु :-

आयु गणना की निश्चयक तिथि 01 जुलाई, 2017 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2017 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(क)–परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

13. सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण:–

समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को उक्त पदों के प्रकाशित विज्ञापन में आवेदन की अंतिम तिथि तक उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन

कार्यालय में पंजीकरण एवं वैधता होना अनिवार्य होगा। (शासनादेश संख्या— 72/XXX (2)/2014 दिनांक 10 फरवरी, 2014) शासन के पत्रांक 809/XXX(2)/2010-3(1)/2010 दिनांक 14 अगस्त, 2012 के अनुसार “जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है, उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा सम्बन्धित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जाएगा।”

14. राष्ट्रीयता :-

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के आशय से पहली जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देशों, केन्या, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तांजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो :

परन्तु यह कि उपयुक्त श्रेणी की (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह है कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप-महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें;

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि से आगे सेवा में इस शर्त के अधीन रहते हुए रखा जाएगा कि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

टिप्पणी:- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

15. चरित्र:-

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो।

16. वैवाहिक प्रास्थिति:-

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका समाधान हो जाय ऐसा करने के विशेष कारण विद्यमान हैं।

17. शारीरिक स्वस्थता:—

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वो किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वो वित्त हस्त-पुस्तिका खण्ड-दो, भाग-तीन के अध्याय-तीन में मूल नियम-10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार चिकित्सा परिषद् की परीक्षा उत्तीर्ण करे।

18. आरक्षण:—

1. **ऊर्ध्व आरक्षण**— उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।
2. **क्षैतिज आरक्षण**— उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा भूतपूर्व सैनिकों को क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड के प्राविधानों तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा।

नोट:— उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण का लाभ दिये जाने का प्रकरण वर्तमान समय में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही आन्दोलनकारियों को वाँछित आरक्षण का लाभ दिये जाने पर विचार किया जायेगा।

(i) "भूतपूर्व सैनिक" से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप में सेवा की हो और जो—(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या (दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या (तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या (चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी है और इसमें टेशीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं— (एक) निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, (दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और (तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले।

नोट:— भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को निर्धारित क्षैतिज आरक्षण या उनके आश्रित के रूप में किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।

(ii) "स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित" से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के (एक) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) (दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और अविवाहित पौत्री (पुत्र की पुत्री) से है।

नोट:—

1. शासनादेशों के नवीनतम प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 19%, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत

कुल संवर्गीय पदों का 04% तथा उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 14% ऊर्ध्व आरक्षण अनुमन्य होगा।

2. शासनादेशों के नवीनतम प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड की महिला के लिए 30%, उत्तराखण्ड के भूतपूर्व सैनिक के लिए 05%, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 02%, उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी/उनके पात्र आश्रित के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।
3. यदि अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगा, का लाभ पाने का पात्र होगा।
4. आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में विहित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र की अन्तिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र यथा समय प्रस्तुत करना होगा।

19. ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रिया:—

(01) अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट **www.sssc.uk.gov.in** पर जाएं।

(02) ऑनलाइन आवेदन हेतु अपर निजी सचिव/सहायक समीक्षा अधिकारी/कम्प्यूटर डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/पर्यवेक्षक (भिक्षुक गृह)/सहायक समाज कल्याण अधिकारी/सहायक अध्यापक (प्राथमिक) (भिक्षुक गृह)/सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी/संवीक्षक/अनुवादक/सहायक अधीक्षिका परीक्षा 2017 के सम्मुख "Click Here" पर जाएं एवं **Continue** करें।

(03) वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र को विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सही-सही भरें एवं वेबसाइट पर दर्शित निर्देशों का पालन करें।

(04) ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात् प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक जाँच लें। भरी गयी प्रविष्टियों में शंका होने पर अथवा किसी त्रुटि की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में पर **Click** करें एवं पुनः समस्त प्रविष्टियां भरें। भरी गयी प्रविष्टियों के एकदम सही होने की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में **Continue** पर **Click** करें।

(05) वेबसाइट के निर्देशानुसार प्रविष्टियां भर लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र समस्त विवरणों सहित दिखाई देगा, जिसमें अभ्यर्थी को अपनी स्कैन फोटोग्राफ (10 KB से कम न हो तथा 50 KB से अधिक न हो) एवं हस्ताक्षर **JPG Format (10 KB से कम न हो तथा 20 KB से अधिक न हो)** में अपलोड करने होंगे।

(06) आवेदन पत्र में प्रदर्शित विवरण में परिवर्तन हेतु अभ्यर्थी **Update** पर **Click** करें तथा प्रविष्टियों के सही होने की दशा में **I Agree** पर **Click** करें।

(07) आवेदन पत्र भरने के पश्चात अभ्यर्थी आवेदन पत्र को डाउनलोड कर उसकी एक प्रति अपने पास सुरक्षित रख लें ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसे संदर्भ हेतु प्रयोग किया जा सके।

(08) अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क ई-चालान (e-challan) द्वारा **BANK OF BARODA** की किसी भी शाखा में जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी Net Banking/Debit Card द्वारा भी परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं।

(09) उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से जमा किया गया शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा तथा निर्धारित तिथि तक परीक्षा शुल्क जमा न करने पर ऑन-लाईन आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

20. शुल्क:—

ऑनलाईन आवेदन पत्र को भरने के लिए अभ्यर्थी सर्वप्रथम ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करेगा तत्पश्चात आवेदन-पत्र भरने के उपरान्त आवेदन शुल्क का भुगतान करेगा। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाईन (Net Banking/Debit or Credit Card) के माध्यम से जमा कर सकता है। इसके अतिरिक्त **BANK OF BARODA** से ई-चालान(E-Challan) और **Net Banking** के माध्यम से शुल्क जमा कर सकते हैं। यदि आवेदन शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के बाद शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पायेगा एवं जमा शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा। अभ्यर्थी जमा शुल्क की प्राप्ति रसीद/ऑनलाईन की प्रति अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित रख लें।

अभ्यर्थी को निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है:—

क्र०सं०	श्रेणी	शुल्क
01	अनारक्षित (सामान्य)	रु० 300 /— मात्र
02	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०)	रु० 300 /— मात्र
03	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (एस०सी०)	रु० 150 /— मात्र
04	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति (एस०टी०)	रु० 150 /— मात्र
05	उत्तराखण्ड दिव्यांग	रु० 150 /— मात्र

- आवेदन में प्रकाशित कुछ पदों या सभी पदों का चयन करने पर भी एक ही शुल्क देय होगा।

21 आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न महत्वपूर्ण निर्देशों व शर्तों को पढ़ें:—

(1) आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरना एक महत्वपूर्ण कार्य है। अभ्यर्थी पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, इस पद के लिए निर्धारित शारीरिक अर्हता मानक, सेवायोजन पंजीकरण की वैधता, आरक्षण की श्रेणियां व उपश्रेणियां आदि को सावधानी पूर्वक पढ़कर ही आवेदन पत्र भरें, क्योंकि ऑनलाईन फार्म में सनिरीक्षा कठिन होती है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अन्तिम चयन के बाद भी अभ्यर्थन निरस्त हो सकता है। साईबर कैंफे से आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी शुल्क जमा करने से पूर्व अपना आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक पढ़ें। आवेदन पत्र भरने के बाद **Final Submit** बटन क्लिक करने से पूर्व अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई प्रविष्टि को संशोधित कर सकते हैं, किन्तु अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि तीन प्रविष्टियों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा।

(2) अभ्यर्थी उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाईन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में, रिट् याचिका (स्पेशल अपील) संख्या:-79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं० (एस)19532/2010 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना आवश्यक है।

(03) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक **10 मई, 2018** तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। सभी प्रकार के पूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि को नियत समय तक अभ्यर्थी को “ONLINE APPLICATION” प्रक्रिया में “Submit” बटन को “Click” करना अनिवार्य है। तत्पश्चात् नियत अवधि तक परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करना है, तभी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी।

(4) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रिन्टआउट प्रति भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक उपयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।

(5) उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में गलत तथ्यों का प्रकटीकरण जिनका वैध प्रमाण-पत्रों के आधार पर पुष्टि न हो या फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त परीक्षाओं से अधिकतम 03 वर्षों के लिए प्रतिवारित कर दिया जायेगा साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है।

(6) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अंतिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(7) ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन में की गयी प्रविष्टियों यथा अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र या अन्य किसी बिन्दु पर किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(8) ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही-सही भरें। आयोग में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिए जाने के उपरान्त मूल आवेदन पत्र में दर्शाए गए विवरणों/प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(9) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पर्याप्त समय पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना सुनिश्चित करें।

(10) विज्ञापन के अन्तर्गत एक या अधिक पदों पर आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी को एक ही आवेदन-पत्र भरना है तथा एक ही शुल्क देय होगा।

(11) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पद की संगत सेवानियमावली एवं अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णय इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(12) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन करें और परीक्षा में बैठें। जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाए जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(13) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा शैक्षिक अर्हता के आधार पर अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन-पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(14) हाईस्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(15) यदि कोई अभ्यर्थी अपनी श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र निरस्त/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए।

(16) प्रश्नगत परीक्षा हेतु शुल्क मात्र ई-चालान (**e-Challan**) के माध्यम से **BANK OF BARODA** की किसी भी शाखा में जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क केवल **Net Banking/Debit or Credit Card** के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(17) लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किए जा सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में एवं वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी।

(18) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से संबंधित उत्तर कुंजी/कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर प्रश्नपत्र एवं संबंधित उत्तर के संबंध में अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस अवधि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(19) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, कैल्कुलेटर, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पेन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पेन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार कि प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है।

(20) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित:- कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(21) परीक्षा भवन में आचरण:- कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें तथा परीक्षा हॉल में अव्यवस्था ना फैलाए तथा परीक्षा संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान ना करें, ऐसी किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा की समाप्ति के उपरान्त उत्तर पुस्तिका कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जायें।

(22) अँगूठे का निशान (**Thumb Impression**):- सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में उत्तर-पत्रक के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बाँये अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दाँये अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे। अँगूठे का निशान अंकित न करने पर उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

(23) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय अपने सेवा नियोजक का 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' मूल रूप में तथा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(24) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही:- अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि आवेदन करते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए। परीक्षा कक्ष में प्रतिबंधित सामग्री ले जाने, अनुचित साधनों के प्रयोग करने, अनुचित आचरण करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त करने के साथ ही उन्हें आयोग की परीक्षाओं के लिए प्रतिबन्धित करने व उनके विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही भी की जायगी।

(25) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि आयोग को ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(26) परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु आयोग का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

(27) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको से वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी। दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में पहले निर्धारित अधिमानी अर्हता एवं तत्पश्चात् उनकी आयु के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण होगा।

(28) लिखित परीक्षा के उपरांत तथा जिन पदों हेतु टंकण एवं आशुलेखन की अनिवार्यता है, में सफल होने के उपरांत, सफल अभ्यर्थियों को विभागों के वरीयताक्रम हेतु ऑनलाइन अभिलेख सत्यापन में अनिवार्य रूप से भाग लेना होगा। इस हेतु सफल घोषित अभ्यर्थियों को अपने अनुक्रमांक संख्या एवं जन्मतिथि के माध्यम से ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल में लॉगिन करना होगा। सफलतापूर्वक लॉगिन करने के पश्चात अभ्यर्थियों को निम्नलिखित तीन चरणों में प्रक्रियाएं पूर्ण करनी होंगी:-

प्रथम चरण:- वेबसाइट पर पदों से संबंधित सभी अनिवार्य अभिलेखों को अपलोड करना होगा। अभिलेखों का अधिकतम आकार **512 KB** एवं फाइल का फार्मट **.JPG/JPEG** होगा। अभिलेखों को वेबसाइट पर अपलोड करने के पश्चात “**Final Submit**” बटन पर क्लिक करना होगा जिसके पश्चात अभ्यर्थी अभिलेखों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर पाएगा। प्रथम चरण पूर्ण होने के पश्चात ही अभ्यर्थी द्वितीय चरण की प्रक्रियाओं को प्रारम्भ कर पाएगा।

द्वितीय चरण:— प्रथम चरण पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के समय विज्ञापन में उल्लिखित पदों का चयन करेंगे। अभ्यर्थी एक, कई या सभी पदों को चुन सकते हैं। सभी के लिए एक ही शुल्क देय होगा।

तृतीय चरण:— प्रथम व द्वितीय चरण पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी विभाग चयन का प्रिंटआउट ले लें। अभ्यर्थी काउंसिलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने तक यह प्रिंटआउट सुरक्षित रखेंगे।

(29) पदों/विभागों का उपरोक्त चयन केवल अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र भरने की सुविधा के लिए है। इससे अभ्यर्थियों को संबंधित पद या विभाग के विकल्प का अधिकार नहीं मिलेगा। लिखित परीक्षा के परिणाम के उपरांत चयन सूची में मेरिट के आधार पर काउंसिलिंग द्वारा पदों/विभागों का आबंटन किया जाएगा।

(30) अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जायेगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in का समय-समय पर अवलोकन करना सुनिश्चित करें।

(31) इस विज्ञापन में आरक्षण लालिका में प्रयुक्त संक्षिप्त शब्दों को निम्नानुसार पढ़ा जाय—

Wo- महिला अभ्यर्थी

DFP- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित

Ex- भूतपूर्व सैनिक

UKA- उत्तरखण्ड राज्य आन्दोलनकारी

PH- दिव्यांग/विकलांग

(संतोष बडोनी)
सचिव